उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-303/सामान्य-का-4 -2020
लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषयः- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपायः-

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से आदेश संख्या- 581/पांच-5-2020 दिनांक 17-03-2020 द्वारा विस्त्रत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों के लिये निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1- सभी विभागाध्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था करेगें कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह ख, ग तथा घ के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिये विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह ख, ग तथा घ के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट सप्ताह में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में, विशेष रूप से बजट के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रथम सप्ताह में कार्यालय आने वाले कर्मियों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिये भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जायः-

क- प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
ख- प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक
ग- प्रातः 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

3- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाय।

5- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें और 4 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगें। इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20.03.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 303(1)सा0 - का-4 -2020 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक सूचना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

(मुकुल सिहंल)
अपर मुख्य सचिव।